2017/00380

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री योगेन्द्र तंवर पुत्र देवीलाल तंवर जाति माली निवासी पीरू जी की चक्की, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 219/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 05.07.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 1506 दिनांक 12.9.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा की रिपोर्ट के आधार पर आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालयश के पत्रांक 1132 दिनांक 19.7.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को हस्तान्तरित करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से संबंधित है, इस हेतु तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 1507 दिनांक 12.9.17 से भी पाबन्द किया गया है।

4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित आये है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर